क्रम सं०–270

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 अक्टूबर, 2013
आश्विन 17, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1106/79-वि-1–13-1(क)-30-2011

लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011, पर दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की नयी धारा 4-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 4—क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"4—ख (1) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के समय उस सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता और व्यवसाय उल्लिखित करते हुए रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी। रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची की शुद्धता का परीक्षण सोसाइटी की साधारण सभा की सदस्यता पंजिका और उसकी कार्यवृत्त पंजिका, कैशबुक, सदस्यता शुल्क की रसीद बुक और सोसाइटी की बैंक पास बुक के आधार पर करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची में किसी सदस्य के आगमन, हटाए जाने, त्याग—पत्र अथवा मृत्यु के कारणों से किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर साधारण सभा के सदस्यों की एक उपांतरित सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाने वाली साधारण सभा के सदस्यों की सूची सोसाइटी के दो पदाधिकारियों और दो कार्यपालक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।"

उद्देश्य एवं कारण

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) संसद द्वारा साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं पूर्त सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में किसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति की वार्षिक सूची दाखिल किये जाने का प्रावधान है लेकिन सोसाइटी की साधारण सभा की सूची को दाखिल करने का उक्त अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में बहुत संख्या में सोसाइटियां रजिस्ट्रार के पास साधारण सभा की शुद्ध सूची नहीं होने के कारण विवादित हैं। अनेक प्रकरणों में कोई अवैध व्यक्ति फर्जी तरीके से रजिस्ट्रार के समक्ष किसी सोसाइटी की साधारण सभा की अशुद्ध सूची प्रस्तुत कर देता है और स्वयं ऐसी सोसाइटी का सदस्य अथवा पदाधिकारी होने का दावा करता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने पाये, अतएव यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में उक्त अधिनियम में नयी धारा 4—ख बढ़ा दी जाय, जिसमें यह प्राविधान हो कि ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के समय उसकी साधारण सभा की सूची रजिस्ट्रार के यहां दाखिल की जाये।

तद्नुसार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1106(2)/LXXIX-V-1–13-1(Ka)-30-2011

Dated Lucknow, October 9, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Society Ragistrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Presidenrt on September 28, 2013.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2011

(U.P. Act no. 23 of 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2011. Short title

2. *After* section 4-A of the Societies Registration Act, 1860 as amended in its application to Uttar Pradesh the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 4-B of Act no. 21 of 1860

"4-B(1) At the time of registration/renewal of a society, list of members of General Body of that society shall be filed with the Registrar mentioning the name, father's name, address and occupation of the members. The Registrar shall examine the correctness of the list of members of the General Body of such society on the basis of the register of members of the General Body and minutes book thereof, cash book, receipt book of membership fee and bank pass book of the society.

(2) If there is any change in the list of members of the General Body of the society referred to in sub-section (1), on account of induction, removal, resignation or death of any member, a modified list of members of General Body, shall be filed with the Registrar, within one month from the date of change.

(3) The list of members of the General Body to be filed with the Registrar under this section shall be signed by two office bearers and two executive members of the society."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) has been enacted by the Parliament to provide for registration of literary, scientific and charitable societies. Section 4 of the said Act deals with the filing of annual list of managing Body of a society but there is no provision in the said Act for filing of list of General Body of the society. At present, a large number of societies are disputed due to non-existence of its correct list of General Body with the Registrar. In several cases, an illegal person, fraudulently, produces before the Registrar an incorrect list of General Body of the society and claims to be the member or office bearer of such society, In order to avoid such situation, it has been decided to amend the said Act in its application to Uttar Pradesh, to insert a new section 4-B, to provide for filing of the list of General Body with the Registrar at the time of registration or renewal of such society.

The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2011 is introduced accordingly.

By order,

S. B. SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 470 सजपत्र–(हि0)–2013–(1017)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 85 सा0 विधायी–2013–(1018)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

460 RPH 2013 Data 2

S-6 2279 08

श्री एस.सी. जैन

P.I.O/ सहा. रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स मेरठ/

15-10-09

15-10-09

श्री टोप

नं. 6 2279

मा0 श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत संख्या एस6-2279/सी/08

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादी श्री एस0सी0जैन ने जन सूचना अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी
एवं चिट्स, मेरठ को दिनांक 20.12.2007 एवं 21.01.2008 को आवेदन पत्र देकर क्रमशः 20 बिन्दुओं एवं
04 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। प्रतिवादी की ओर से वादी के पत्र दिनांक 20.12.2007 के संबंध में
दिनांक 21.01.2008 एवं दिनांक 21.01.2008 के आवेदन के संबंध में दिनांक 27.02.2008 को उत्तर
दिया गया। प्रतिवादी की ओर से दी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर वादी द्वारा विभाग के प्रथम
अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपनी प्रथम अपील दर्ज करायी गयी एवं दिनांक 18.06.2008 को सूचना
आयोग में द्वितीय अपील दायर की गयी, जिसे वाद संख्या एस6-2279/सी/08 के तहत पंजीकृत किया
गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त दोनों ही आवेदन पत्रों के संबंध में वादी को
नियमानुसार जवाब दिया गया है। प्रतिवादी की ओर से विशेष सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन
द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख
किया गया है कि "जब केवल सूचना की बात आए तब सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू होगा
और जब अभिलेख की प्राप्ति अथवा निरीक्षण की बात आए तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के
प्राविधान लागू होंगे/"

आयोग द्वारा पूर्व में भी कई ऐसे मामलों में यथा राजस्व विभाग के मामलों में सुनवाई करते
समय यह आदेश दिया जा चुका है कि आयोग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है जहां सामान्य रूप में
विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले अभिलेखों हेतु शासकीय व्यवस्था के तहत दिए जाने वाले अभिलेखों
की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विभिन्न पूर्व प्रचलित कानूनों में तत्संबंधी प्राविधान
लागू हैं।

अतः उपरोक्त वाद के सिलसिले में भी आयोग यह फैसला देता है कि वादी यदि अपने आवेदन
पत्र द्वारा चाही गयी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करना चाहे तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत
प्राविधानित नियमों के तहत शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकता है।

इस आदेश के साथ ही इस वाद को निस्तारित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

श्री संजीत कुमार [आवेदक]

ह0 ज्ञानेन्द्र शर्मा,
15-10-09

प्रति० क्रमांक 26-
आवेदन की तिथि 03-12-09
तैयारी की तिथि 07-12-09
नकल देने की तिथि 07-12-09

सत्य-प्रतिलिपि

07/12/09

(मुमताज अहमद)
प्रभारी नकल अनुभाग
उ०प्र० सूचना आयोग
लखनऊ।